

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

बिहार नीरा (ताड़ का खमीर युक्त रस) नियमावली-2017 के कंडिका-5 के आलोक में राज्यस्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नीरा का मूल्य-25 रूपया प्रति लीटर एवं गुड़ का मूल्य-150 रूपया प्रतिकिलो होगा साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ताड़ के पेड़ का किराया 100 रूपया प्रति पेड़ शाही मौसम माह अप्रैल से अगस्त/सितम्बर का होगा। यह दर दिनांक-20.04.2017 से प्रभावी होगा।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....

/पटना,दिनांक.....

05/स0 विविध (ताड़ पेड़)-07/2016

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, निबंधन एवं उत्पाद विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जीविका पटना/प्रबंध निदेशक,कॉम्फेड, पटना/ कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक १५५४.....

/पटना,दिनांक 08/06/2017

05/स0 विविध (ताड़ पेड़)-07/2016

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।